

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-17042025-262520
SG-DL-E-17042025-262520असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2025/चैत्र 27, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 17
No. 118]	DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2025/CHAITRA 27, 1947	[N. C. T. D. No. 17

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

उद्घोषणा

दिल्ली, 17 अप्रैल, 2025

फा.सं. एलएसी/सी/2020/सीडी-092623813/252.—भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) [भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिपूर्ति, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन, विकास योजना) नियमावली, 2015 के नियम 10 के अनुसरण में] के अंतर्गत घोषणा सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् एमआरटीएस परियोजना चरण-IV, जो जनकपुरी पश्चिम से आरंभ होकर मुकुंदपुर-आर0के0 आश्रम मार्ग कॉरिडोर तक जाती है, हेतु जिला मध्य में उप-प्रभाग सिविल लाईन्स के राजस्व ग्राम दिल्ली में राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश पर स्थित संपत्ति संख्या 8736-सी और 8736-डी की कुल भूमि माप 62 वर्ग मीटर (0.0062 हेक्टेयर) वाली प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के संबंध में है।

जबकि सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् एमआरटीएस परियोजना चरण-IV जो जनकपुरी पश्चिम से आरंभ होकर मुकुंदपुर-आर0के0 आश्रम मार्ग कॉरिडोर तक जाती है, हेतु जिला मध्य में उप-प्रभाग सिविल लाईन्स के राजस्व ग्राम दिल्ली में राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश पर स्थित संपत्ति संख्या 8736-सी और 8736-डी की कुल भूमि माप 62 वर्ग मीटर (0.0062 हेक्टेयर) भूमि की आवश्यकता है।

अतः घोषणा की जाती है कि राजस्व ग्राम दिल्ली, उप-प्रभाग सिविल लाईन्स, जिला मध्य दिल्ली में उपरोक्त परियोजना हेतु अधिग्रहण के अंतर्गत 62 वर्ग मीटर (0.0062 हेक्टेयर) माप वाली भूमि का टुकड़ा है, जिसका विस्तृत विवरण, जैसा कि धारा 11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 27.05.2024 में अंकित है, इस प्रकार है:

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	शीर्षक का प्रकार	अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	इच्छुक व्यक्तियों के नाम / पता	अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्र की सीमाएँ इस प्रकार हैं:			
						उ०	द०	पू०	प०
01	खसरा संख्या 388 मिन संपत्ति संख्या 8736-सी और 8736-डी, राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश	एमआरटीएस (मेट्रो रेल ट्रांजिट प्रणाली) परियोजना चरण-IV - राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश नई दिल्ली पर स्थित जनकपुरी पश्चिम से शुरू होकर मुकुंदपुर-आर. के. आश्रम मार्ग कॉरिडोर तक	62 वर्ग मीटर (0.0062 वर्ग हेक्टेयर)	शहरीकृत	विवेक सदाना	रोशनारा रोड	एमसीडी डिस्पेंसरी	रामा डीजल सर्विस शॉप	रोशनारा रोड
					पूजा सदाना				
					अनुराग नंदा	रोशनारा रोड	एमसीडी डिस्पेंसरी	कॉलोनी स्ट्रीट	पंजाब इंजीनियरिंग वर्क शॉप

वृक्ष	
विविधता	संख्या
शून्य	शून्य

संरचना	
प्रकार	स्थिति क्षेत्र
निर्मित	भूतल से तृतीय तल तक

यह घोषणा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 27.05.2024 के विरुद्ध अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए क्लेक्टर नोटिस दिनांक 07.06.2024 के माध्यम से सभी इच्छुक व्यक्तियों को धारा 15 के अंतर्गत अवसर प्रदान करने के पश्चात की गई है। तथापि निर्धारित अवधि में इस कार्यालय में कोई आपत्ति/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। भूमि अधिग्रहण के कारण पुनःस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

उक्त भूमि या उक्त भूमि के किसी विशेष भाग के अंतर्गत स्थित कोयला, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खदानें, खदानों और खनिजों के ऐसे भागों को छोड़कर, जिन्हें परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदने या हटाने या उपयोग करना अपेक्षित हो सकता है, जिसके प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, की आवश्यकता नहीं है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (मध्य) 14 दरियागंज नई दिल्ली-110002 के कार्यालय तथा महाप्रबंधक (भूमि), डीएमआरसी लिमिटेड मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।

पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना का सारांश संलग्न है।

परिशिष्ट : उपरोक्तानुसार

अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजना सारांश

1. परियोजना का नाम	एमआरटीएस (मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम) परियोजना चरण-IV (जो जनकपुरी पश्चिम से शुरू हो कर मुकुंदपुर- आरके आश्रम मार्ग कॉरिडोर तक) हेतु राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश नई दिल्ली पर स्थित संपत्ति संख्या 8736-सी और 8736-डी (भूमि क्षेत्र 62 वर्ग मीटर) के अधिग्रहण के लिए
--------------------	--

2. भूमि तथा उनसे संबंधित स्वरूप में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के नाम/संख्या	दिल्ली राजपत्र (प्रारंभिक अधिसूचना) दिनांक: 27 मई, 2024 में उल्लिखित अनुसार। (F.NO. एलएसी/सी/2020/092623813/440-452 दिनांक 27 मई, 2024)
---	---

3. प्रभावित परिवारों को दिए जाने वाले पुनर्वास एवं पुनःस्थापन अधिकार के प्रावधान के लिए समय सीमा	आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 38 के अंतर्गत पुरस्कार की तिथि से 06 माह के भीतर।
--	---

क्र०सं०	दावेदार/प्रभावित परिवार का नाम	आधार संख्या	व्यवसाय	पुनर्वास एवं पुनःस्थापन अधिकार	अभ्युक्ति
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1. विस्थापन की स्थिति में, आवास इकाई का प्रावधान।	लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है।
				2. भूमि के बदले भूमि	लागू नहीं, यह सिंचाई परियोजना नहीं है।
				3. विकसित भूमि का प्रस्ताव।	लागू नहीं, क्योंकि शहरीकरण के प्रयोजनार्थ, भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (एमआरटीएस) परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखता है; यह परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य की आवश्यकता को पूर्ण करती है क्योंकि यह सरकार की एक आधारभूत संरचना परियोजना है और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 2 (1) में सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा में शामिल है। यह यातायात की भीड़, वाहनों की आबादी को कम करके और प्रमुख आवासीय/वाणिज्यिक पड़ोस में गतिशीलता बढ़ाकर सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करेगी।
				4. वार्षिकी/रोजगार	लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। <i>SIA Report Para 8.1.3 के अनुसार, किसी भी इच्छुक व्यक्ति ने मासिक आय के समर्थन में कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया है।</i>
				5. विस्थापित परिवार को एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाह अनुदान	लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है।
				6. विस्थापित परिवार हेतु परिवहन लागत	Rs. 1,50,000/- (50000 x 3 प्रभावित दुकान मालिक) As per SIA report Para 8.1.6
				7. पशुशाला, छोटी	लागू नहीं, क्योंकि किसी भी प्रभावित परिवार के पास कोई पशु या छोटी दुकान

क्र०सं०	दावेदार/प्रभावित परिवार का नाम	आधार संख्या	व्यवसाय	पुनर्वास एवं पुनःस्थापन अधिकार	अभ्युक्ति
				दुकान	नहीं है।
				8. कारीगर, लघु व्यापारियों और कुछ अन्य लोगों को एकमुश्त अनुदान।	लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है।
				9. मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है।
				10. एकमुश्त पुनःस्थापन भत्ता	Rs. 15,27,708/- As per SIA Report Para 8.1.4.
				11. स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क	लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है।

डॉ. आशीष चंद्र वर्मा, आईएएस अपर मुख्य सचिव

REVENUE DEPARTMENT

DECLARATION

Delhi, the 17th April, 2025

F. No. LAC/C/2020/CD-092623813/252.—The declaration under Section 19(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 [in accordance with Rule 10 the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (*Compensation, Rehabilitation and Resettlement, Development Plan*) Rules, 2015] regarding acquisition of Land measuring **62 Sq. Meters (0.0062 hectares)** is required at **Property No. 8736-C & 8736-D, Rahat Ganj/Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash situated in Revenue Estate of Village Dilli, Sub-Division Civil Lines in District Central** for public purpose, namely **MRTS project Phase-IV starting from Janak Puri West to R.K. Ashram Corridor.**

Whereas it appears to the Government that a total of 62.00 Sq. Mtr. (0.0062 hectares) land is required at Property No. 8736-C & 8736-D, Rahat Ganj/Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash **situated in Revenue Estate of Village Dilli, Sub-Division Civil Lines** in District Central for public purpose, namely MRTS project Phase-IV starting from Janak Puri West to R.K. Ashram Corridor.

S. No	Survey No.	Type of Title	Type of Land	Area under acquisition (in hectares)	Name /Address of Persons Interested	Boundaries of the area to be acquired are as under:			
						N	S	E	W
01	Khasra No. 388 min. Property No. 8736-C & 8736-D, Rahat Ganj/ Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash	MRTS project Phase-IV starting from Janak Puri West to Mukundpur-R.K. Ashram Corridor at Rahat Ganj/ Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash, New Delhi	Urbanized	62.00 sq. Mtr. (0.0062 hectare)	Vivek Sadana, Puja Sadana,	Roshanara Road	MCD Dispensary	Rama Diesel Service Shop	Roshanara Road
					Anurag Nanda	Roshanara Road	MCD Dispensary	Colony Street	Punjab Engineering Work Shop

Therefore, declaration is made that a piece of land measuring 62.00 Sq. Mtr. (0.0062 hectares) is under acquisition for the above said project at Property No. 8736-C & 8736-D, Rahat Ganj/Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash **situated in Revenue Estate of Village Dilli, Sub-Division Civil Lines** in District Central Delhi, whose detailed description, as mentioned in Preliminary Notification u/s 11 (1), is as follows:

Trees	
Variety	Number
Nil	Nil

Structure	
Type	Plinth Area
Built-up	Up to Ground + 3 rd Floor

This declaration is made after providing an opportunity u/s 15 to all interested persons vide Collector Notice dated 07.06.2024 to file their objections against the Preliminary Notification dated 27.05.2024 u/s 11 of RFCTLARR Act, 2013. However, no objection / representation has been received in this office within stipulated period. The number of families likely to be resettled likely due to land acquisition is NIL.

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector (Central), 14 Darya Ganj New Delhi-110002 and in the office of General Manager (Land), DMRC Ltd. Metro Bhawan, Fire Brigade Lane, Barakhamba Road, New Delhi-110001 on any working days.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended.

Encl: As above.

SUMMARY FOR APPROVED REHABILITATION & RESETTLEMENT SCHEME

1. Name of Project	Acquisition of Land measuring 62 Sq. Mtrs. for MRTS (Metro Rail Transit System) project Phase-IV (Starting from Janak Puri West-Mukundpur- R.K. Ashram Marg Corridor) at Property No. 8736-C & 8736-D, Rahat Ganj / Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash New Delhi
2. Name/Number of persons interested in the land and the nature of their respective	As per mentioned in Delhi Gazette (Preliminary Notification) dated: May 27, 2024. (F.NO. LAC/C/2020/092623813/440-452 dated 27 May, 2024)
3. Time limit for provision of Rehabilitation and Resettlement Entitlement given to the affected families	Within 06 months from the date of award u/s 38 of RFCTLARR Act, 2013. Not Applicable

S. No.	Name of Claimant /Affected Family	Aadhar No.	Occupation	Rehabilitation and Resettlement Entitlement	Remarks
1.	NA	NA	NA	1. Provision of housing unit in case of displacement.	Not Applicable , as there is no displacement of affected family.
				2. Land for land.	Not Applicable , it is not an irrigation project.
				3. Offer of Developed Land.	Not Applicable , as land is not being acquired for urbanization purpose. Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) intends to acquire the land for the public purpose namely Mass Rapid Transit System (MRTS) Project Phase-IV. The Project fulfills the requirement of public purpose since it is an infrastructure project of the government and is included in the definition of public purpose in Section 2 (1) of the RECTLARR Act. It will serve public purpose by reducing traffic congestion, vehicular population and increasing mobility in a key residential/commercial neighbourhood.
				4. Annuity/Employment.	Not Applicable , as there is no displacement of affected family. <i>As per SIA Report para 8.1.3 no proof in support of monthly income has been provided by any of</i>

S. No.	Name of Claimant /Affected Family	Aadhar No.	Occupation	Rehabilitation and Resettlement Entitlement	Remarks
					<i>interested persons.</i>
				5. Subsistence grant for displaced family for period of one year.	Not Applicable , as there is no displacement of affected family.
				6. Transportation cost for displaced family.	Rs. 1,50,000/- (50000 x 3 Affected shop owner) As per SIA report Para 8.1.6
				7. Cattle shed, petty shop.	Not Applicable , as no affected family have any Cattle/Petty Shop.
				8. One time grant to artisan small traders and certain others.	Not Applicable , as there is no displacement of affected family
				9. Fishing rights.	Not Applicable , as it is not an irrigation project.
				10. One time resettlement allowances.	Rs. 15,27,708/- As per SIA Report Para 8.1.4.
				11. Stamp duty and registration fee.	Not Applicable , as there is no displacement of affected family.

Dr. ASHISH CHANDRA VERMA, IAS Addl. Chief Secy.